



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



No- CHG/DRG/LST-50/NGP

खान कोड- 38CHG05015

दिनांक:-28.12.2022

प्रेषित-

श्री शंकर हरी अग्रवाल, पट्टेदार,
चंडी चुनापथर खदान,
हाउस नंबर बी1 और बी2,
वालफोर्ट सिटी, रिंग रोड नंबर 01,
भाटागांव, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़-490021
ईमेल-vikasagrawal1975@yahoo.com

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित आपके चंडी चुनापथर खदान 17.95 हैक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं 2021 के नियमों के संबंध में ।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 27.10.2022 को इस कार्यालय के श्री प्रशान्त कुमार साहू, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री अरुण स्वामी, भूविज्ञानी एवं डॉ. मनोज कुमार, अर्हित व्यक्ति के उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है ।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	<p>The Mining operations required to be carried out in accordance with the Mining Plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, mining operations have not been found carried out in accordance with the Modification of Approved Mining Plan (MMP) approved dated 13.03.2018 to the extent indicated below;</p> <p>i) Mining operation/excavation observed carried out in 7.5 mt. area within and along ML boundary (safety zone barrier) between the boundary pillar no. C39 & C41, without such approval in the Mining Plan.</p> <p>ii) Also, the 7.5 mt. area within and along ML boundary (safety zone barrier) in between the boundary pillar no. C12 to C14 and C14 to C16 observed encroached by temporarily stacking of mineral rejects without such approval in the Mining Plan.</p> <p>iii) 1.442 ha area proposed to use under mining/pit up to the end of plan period i.e. 2022-23 whereas as per the updated surface plan and the information reported in the AR 2021-22, 2.266 ha area is already put to use up to 2021-22, thus (+) 57 % area has been degraded more than approval in Mining Plan.</p>
34(A)	<p>The digital aerial images of mining lease area as required under Rule 34(A) of MCDR, 2021 ought to be submitted to this office on or before 1st day of July every year for the previous financial year. However, the same has not been submitted so far to this office.</p>
46	<p>Intimation of appointment of Mining Engineer has not been furnished to this office in Form H.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) के अंतर्गत ।

(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन 11(1), 34(A) एवं 46 का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(दीपक चिंचखेडे)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो